नियम 23 : रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण

(1) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर उचित अधिकारी द्वारा रद्द किया जाता है, [1][नियम 10ख के प्रावधानों के अधीन रहते हुए] **प्ररूप जीएसटी आरईजी–21** में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन, ऐसे उचित अधिकारी को, सामान्य पोर्टल पर [2][रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से नब्बे दिवस की अवधि के भीतर] *{......} या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा :

[3][**परन्तु** ऐसी अवधि का पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर और लेखब) किए जाने वाले कारणों के लिए आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जो यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की रैंक से नीचे का न हो, एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की किसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी :

परन्तु यह और कि] प्रतिसंहरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा यदि रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के कारण रद्द किया गया है जब तक कि ऐसी विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती और कर के बकाया के रूप में कोई रकम, ऐसी विवरणी की निर्बंधनों में ब्याज, शास्ति और उक्त विवरणी के संबंध में देय विलंब फीस के लिए देय रकम के साथ संदत्त नहीं की जाती।

[4][[5][**परन्तु यह भी**] कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख तक कर अवधि के लिए बकाया सभी विवरणियां उक्त व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगीः

परन्तु यह भी कि जहां रजिस्ट्रीकरण भूतलक्षी प्रभाव से रद्द किया गया है वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण

---

1 अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 38/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

2 अधिसूचना क्रमांक 38/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा शब्द ''रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।

* राजपत्र के अंग्रेजी संस्करण को देखते हुए निम्नलिखित शब्द उचित स्थान पर प्रतीत नहीं होते हैं, अतः निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया हैः

''A[या ऐसी अवधि के भीतर जो, धारा 30 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए]

A अधिसूचना क्रमांक 15/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)।

3 अधिसूचना क्रमांक 38/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा शब्द ''**परन्तु**'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।

4 अधिसूचना क्रमांक 20/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.04.2019 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.04.2019)।

5 अधिसूचना क्रमांक 38/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा शब्द ''**परन्तु यह और**'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।

की तारीख तक की अवधि से संबंधित सभी विवरणियां रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख से 30 दिनो की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।]

(2) **(क)** जहां उचित अधिकारी का समाधान हो जाता है, उन कारणों से जो लेखब) किए जाए, कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए पर्याप्त आधार है वह आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी–22** में एक आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहरित कर सकेगा।

(ख) उचित अधिकारी, उन कारणों के लिए जो लेखब) किए जाए, उन परिस्थितियों से भिन्न जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट है, **प्ररूप जीएसटी आरईजी–05** के आदेश द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और उसकी संसूचना आवेदक को देगा।

(3) उचित अधिकारी, उप–नियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आदेश के पारित करने से पहले, आवेदक से यह अपेक्षा करते हुए कारण बताओ कि क्यों न उप–नियम (1) के अधीन प्रतिसंहरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए **प्ररूप जीएसटी आरईजी–23** में सूचना जारी करेगा और आवेदक **प्ररूप जीएसटी आरईजी–24** में सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा।

(4) **प्ररूप जीएसटी आरईजी–24** में सूचना या स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर उचित अधिकारी, आवेदक से ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में आवेदन का निपटान करेगा।